पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

2017 का आपराधिक विविध संख्या 32209

थाना कांड संख्या 65 वर्ष 2016 थाना-राजगीर जिला-नालंदा से उत्पन्न मामला

==========

1. निशिकांत तिवारी पुत्र श्री रामबल्लभ तिवारी, ग्राम-सिंघाही के निवासी, डाकघर- महरौली, थाना डोरीगंज, जिला छपरा, सारण

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... विपरीत पक्ष/

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए :श्री राजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता

:श्री ज्ञानेंद्र कुमार

विरोधी पक्ष के अधिवक्ताः श्री विनोद शंकर मोदी, एपीपी

==========

- **भारतीय दंड संहिता- धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471 और धारा 506:- चर्चा की गईः (पैरा-9)। धारा 405 आकर्षित करने के लिए सामग्री-आकर्षित करने के लिए सामग्री आई. पी. सी. की धारा 420** *(इस पर बनाया गया भरोसाः- एन. राघवेंद्र बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, सी. बी. आई. जैसा कि (2021) 18 एस. सी. सी. 70, पैरा नं. 46 और 51) में प्रतिवेदित किया ।*

(पैरा-9 और 10)

- **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482-असाधारण शक्ति का प्रयोग-कानून के सिद्धांत और मामलों की श्रेणियां जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा** न्याय **उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है।** (इस पर निर्भरताः- हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल

और अन्य ने 1992 में रिपोर्ट किया सप्लीमेंट (1) सुप्रीम कोर्ट के मामले 335, पैरा-102); (उषा चक्रवर्ती और एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य जैसा कि (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 90, पैरा-10 में रिपोर्ट किया गया है)

(पैरा-11,12,13)

- मामला प्रथम दृष्टया जाली दस्तावेज का मामला प्रतीत नहीं होता है, न ही यह प्रतिरूपण का मामला है। यह आरोप प्रथम दृष्टया आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि यह लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन है। यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत मामला बनाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रासंगिक तत्व पुरुष अधिकार, यानी धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को जारी करना है, जो बहुत ही धारणाओं से चलना चाहिए। (इस पर निर्भरः- संगीताबेन **महेंद्रभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य जैसा कि (2012) 7 एस. एस. सी. 621 में बताया गया है**) याचिकाकर्ता का निहितार्थ केवल अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दिखाई देता है, जो स्वयं एस. एल. आई. ई. टी. के उप-पंजीयक के रूप में जारी किया गया है, जहां वह 31.07.2014 (पूर्वाह्न) से 30.05.2014 (दोपहर) तक काम कर रहे थे। सेवा की उपरोक्त अवधि दिनांकित 18.03.2016 वाले पत्र को देखते हुए 1155 एस. एल. आई. ई. टी. द्वारा जारी विवादित प्रतीत नहीं होती है। जो 30.05.2014 दिनांकित अनुभव प्रमाण पत्र से दी गई कोई भी जानकारी प्रथम दृष्टया गलत या जाली नहीं दिखाई देती है। यह आगे प्रतीत होता है कि अनुभव प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता के पक्ष में कर्नल अरूण कैंथला के हस्ताक्षर के तहत दिनांक 27.02.2014 द्वारा जारी किया गया था। (सेवानिवृत्त) अरुण कैंथला जिस पर पत्र संख्या 7884 है। जैसा कि एस. एल. आई. ई. टी. द्वारा जारी किया गया है, जहां यह दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता ने 27.02.2014 से 31.07.2014 (पूर्वाह्न) तक काम किया है। एफ. आई. आर. के साथ संलग्न विभिन्न ई-मेलों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और सूचना देने वाला

आधिकारिक विवादों और मतभेदों के कारण शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध में थे, जहां सूचक को एन. यू. की सेवा 07.11.2017 दिनांकित आदेश संख्या 699 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तदनुसार, **भजन लाल मामले (उपरोक्त)** का पैरा सं. 7 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों पर ध्यान देकर , इसकी सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ संज्ञान का विवादित आदेश, याचिकाकर्ता के परिपेक्ष्य में रद्द एवं दरकिनार कर दिया जाता है।

- आवेदन की स्वीकृत ।

(पैरा- 14 और 16)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

2017 का आपराधिक विविध संख्या 32209

थाना कांड संख्या 65 वर्ष 2016 थाना-राजगीर जिला-नालंदा से उत्पन्न मामला

==========

1. निशिकांत तिवारी पुत्र श्री रामबल्लभ तिवारी, ग्राम-सिंघाही के निवासी, डाकघर-महरौली,थाना डोरीगंज, जिला छपरा, सारण

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... विपरीत पक्ष/

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए :श्री राजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता

:श्री ज्ञानेंद्र कुमार

विरोधी पक्ष के अधिवक्ताः श्री विनोद शंकर मोदी, एपीपी

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीखः06-03-2024

1. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रद्द करने वाली याचिका को 2016 के राजगीर थाना कांड संख्या 65 में पारित दिनांक 31.01.2017 के आदेश को रद्द करने के लिए दाखिल की गई है, जहां बिहार शरीफ, नालंदा के विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-4 ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419,420,467,468,471,409 और 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया ।

3. अमरेश सिंह द्वारा सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 05.01.2016 को लिखे गए एक पत्र के आधार पर, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर के वित्त

अधिकारी-सह-कार्यकारी निबंधक द्वारा एक लिखित जानकारी दायर की गई थी और इस पर, एक पुलिस वाद याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 467,468,471,419,420 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता को सूचक, जो एक वित्त अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, श्री के. चंद्रमूर्ति द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफ. आई. आर. के माध्यम से याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण हैं और आधिकारिक मतभेदों/दुश्मनी के कारण गलत उद्देश्य से लगाए गए हैं। यह इंगित किया गया है कि एक अमरेश सिंह के नाम से लिखे गए एक अहस्ताक्षरित आवेदन के आधार पर, याचिकाकर्ता के जाली प्रमाण पत्र का दावा करते हुए सतर्कता अधिकारी, नालंदा विश्वविद्यालय (इसके बाद एन. यू. के रूप में संदर्भित) और शिकायत अधिकारी, नालंदा विश्वविद्यालय और सतर्कता अधिकारी, विदेश मंत्रालय को भेजा गया था, जिसे जांच के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजा गया था। यह बताया गया है कि संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल, जिला-संगरुर पंजाब (इसके बाद एस.एल.आई ई.टी के रुप में संदर्भित) से एन. यू. के कुलपति डॉ. गोपा सभरवाल द्वारा पत्र सं. एन. यू./2015-16 दिनांकित 09.03.2016, द्वारा यथार्थता के संबंध मे उक्त शिकायत रिपोर्ट मांगी गयी थी जिसके जवाब में एस. एल. आई. ई. टी. द्वारा दिनांकित एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें एन.यू. ने कहा कि पांच दस्तावेजों में से चार दस्तावेज वास्तविक हैं, जबकि अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में जमानत संस्थान द्वारा जारी नहीं की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर इस मुद्दे में वर्तमान प्राथमिकी सूचक द्वारा एन. यू. के वित्त अधिकारी के रूप में दर्ज की गई थी।

5. विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता एस. एल. आई. ई. टी. में उप-निबंधक के रूप में काम कर रहा था। सिविल रिट याचिका

संख्या सी.डब्लू. पी.-8879/2014 के निपटारे पर उन्हें 30.05.2014 को मुक्त कर दिया गया था जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष लंबित था जिसके बाद उन्हें दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में दिनांकित-02.06.2014 को शामिल होना था, इसलिए कुलसचिव की अनुपस्थिति में उन्होंने स्वयं अपने पक्ष में एक अनुभव प्रमाण पत्र बनाया और कुलसचिव के लिए अपने हस्ताक्षर किए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांकित 31.05.2014 के अनुभव प्रमाण पत्र में उल्लिखित विवरण/बयान की वास्तविकता विवादित नहीं है और केवल अनियमितताओं के आधार पर चूकि याचिकाकर्ता ने कर्नल (सेवानिवृत्त) अरूण कैंथल की अनुपस्थिति में उप-कुलसचिव एस.एल.आई.ई.टी के रूप में अपने स्वयं के हस्ताक्षर के तहत प्रमाण पत्र जारी किया था। जहां वे दूसरों को इस तरह के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं, को वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कुलसचिव के बदलें यह उनकी आधिकारिक क्षमता में कुलसचिव के स्थान पर उनके अपने हस्ताक्षर थे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 467, 468 और 471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनता है। उनके प्रस्तुतिकरण के समर्थन में विद्वान वकील ने आगे पत्र सं. 1115 दिनांक 18.03.2016, जहाँ पहला गोली का निशान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि याचिकाकर्ता एक उप निबंधक के रुप में 31.07.2013 को SLIET में शामिल हुआ और उसे दोपहर 30.05.2014 से मुक्त कर दिया गया।

6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता का सूचक के साथ आधिकारिक मतभेदों के कारण शत्रुतापूर्ण संबंध था, जहां एक निदेशक प्रशासन के रूप में काम करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा सूचक के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कई मुद्दे उठाए गए थे और बाद में खुद सूचक के रूप में वित्तीय अनियमितताओं में पाया गया था, वित्त अधिकारी के रूप में उनकी सेवा को एन. यू. से दिनांक 07.11.2017 समाप्त कर दिया गया था। (पूरक हलफनामे के अनुलग्नक 6)

7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान संज्ञान आदेश को रद्द किया जाना उचित है क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

8. आवेदन का विरोध करते हुए राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एपीपी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने एस. एल. आई. ई. टी. के निबंधक (सेवानिवृत्त) अरुण कैथला, कर्नल की ओर से स्वयं को अनुभव प्रमाण पत्र।

9. इस स्तर पर आई. पी. सी. की धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471 और 506 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा जिसमें संज्ञान लिया गया थाः-

> **409. लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन या–** जो कोई भी, किसी भी तरह से संपत्ति के साथ गया है, या एक लोक सेवक के रूप में या एक बैंकर, व्यापारी, कारक, दलाल, वकील या एजेंट के रूप में अपने व्यवसाय के रास्ते में संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ, उस संपत्ति के संबंध में विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करता है, उसे 1 [आजीवन कारावास], या किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
>
> **419. प्रतिरुपण द्वारा छल करने के लिए दंड–** जो कोई भी व्यक्ति प्रतिरुपण द्वारा छल करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
>
> **420. धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण को प्रेरित करना –** जो भी धोखा देता है। और इस तरह बेईमानी से व्यक्ति को यदि

किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए धोखा दिया जाता है, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए, या कुछ भी जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है, और जो एक मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है, तो किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल तक की अवधि के लिए हो सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

467. मूल्यवान प्रतिभूति आदि की जालसाजी वसीयत– जो कोई किसी दस्तावेज की जालसाजी करता है जो एक मूल्यवान या वसीयत, या एक पुत्र को गोद लेने का प्रधिकार होना बताता है, या जो किसी व्यक्ति को कोई मूल्यवान प्रतिभूति बनाने या हस्तांतरित करने, या उस पर मूलधन, ब्याज या लाभांश प्राप्त करने, या कोई धन, चल संपत्ति, या मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त करने या वितरित करने का अधिकार देने का इरादा रखता है, या कोई दस्तावेज जो धन के भुगतान को स्वीकार करने वाली रिहाई या रसीद, या किसी चल संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के वितरण के लिए रिहाई या रसीद होने का दावा करता है, उसे [आजीवन कारावास], या के साथ दंडित किया जाएगा। या तो एक ऐसी अवधि के लिए विवरण जो दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

468. धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी – जो कोई भी जालसाजी करता है, इस इरादे से कि 3 [दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जाली] का उपयोग धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया जाएगा, उसे सात साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

471. जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक के रूप में उपयोग करना – जो कोई धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी भी 5 [दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] का असली के रूप में उपयोग करता है जिसे वह जानता है या जिसे जाली [दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] मानने का कारण है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे 5 [दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] को जाली बनाया था।

506. अपराधी धमकी के लिए सजा – जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

यदि मृत्यु या गंभीर चोट आदि का खतरा हो – और अगर मृत्यु या गंभीर चोट का खतरा है, या आग से किसी संपत्ति का विनाश करना, या कोई ऐसा अपराध करना जिसके लिए मृत्यु दंड है।

8 [आजीवन कारावास], या सात साल तक की अवधि के कारावास से, या किसी महिला पर अनैतिकता का आरोप लगाने के लिए, किया जाएगा। किसी भी अवधि के विवरण के लिए कारावास जो सात साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।

10. प्रस्तुतियों के समर्थन में विद्वान वकील ने मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर भरोसा किया जैसा कि **एन. राघवेंद्र बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, सी. बी. आई.** के मामले में जैसा कि **(2021) 18 एस. सी. सी. 70** में रिपोर्ट किया गया, जहाँ उन्होंने उक्त रिपोर्ट का पैरा संख्या 46 और 51 पर जोर दिया , जो इस प्रकार हैः-

*"**46.** सार्वजनिक संपत्ति को सौंपना और धारा 405 के तहत दर्शाए गए तरीके से बेईमानीपूर्ण गबन या उसका उपयोग धारा*

409 आई. पी. सी. के तहत दंडनीय अपराध बनाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। "आपराधिक विश्वासघात" पद को धारा 405 आई. पी. सी. के तहत परिभाषित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि जो कोई भी किसी भी तरह से संपत्ति के साथ या किसी संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ सौंपा गया है, वह बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित हो जाता है, या कानून के विपरीत उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग करता है या निपटान करता है, या उस तरीके को निर्धारित करने वाले किसी कानून का उल्लंघन करता है जिसमें इस तरह के ट्रस्ट को निर्वहन किया जाना है, या किसी भी कानूनी अनुबंध, व्यक्त या निहित, आदि का उल्लंघन करता है, उसे विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। इसलिए, धारा 405 आई. पी. सी. को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित अवयवों को संतुष्ट किया जाना चाहिएः

1. किसी भी व्यक्ति को संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ सौंपना।
2. उस व्यक्ति ने बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग किया है या उसे अपने उपयोग में बदल दिया है।
3. या वह व्यक्ति बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या निपटान कर रहा है या कानून के किसी भी निर्देश या कानूनी अनुबंध का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ित कर रहा है।

***51.** यह सर्वोपरि है कि आई. पी. सी. की धारा 420 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को न केवल यह साबित करना होगा कि आरोपी ने किसी को धोखा दिया है, बल्कि यह भी कि ऐसा करके, उसने बेईमानी से उस व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया है जिसे धोखा दिया गया है। इस प्रकार, इस अपराध के तीन घटक हैं अर्थात (i) किसी व्यक्ति को धोखा देना, (ii) धोखाधड़ी से या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना, और (iii) प्रलोभन देते समय अभियुक्त का कारण। यह बिना कहे चला जाता है कि धोखाधड़ी के अपराध के लिए, धोखाधड़ी और बेईमान इरादे उस शुरुआत से मौजूद होने चाहिए जब वादा या प्रतिनिधित्व किया गया था। "*

11. पैराग्राफ नं.102 को पुनः प्रस्तुत करना भी उचित होगा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के **हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य ने 1992 सप्लीमेंट (1) सुप्रीम कोर्ट के मामलों 335** में रिपोर्ट किया, जो यह नीचे लिखा हैः

> *"102. विभिन्न प्रासंगिक की व्याख्या की पृष्ठभूमि में अध्याय 14 के तहत संहिता के प्रावधानों और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों, जिन्हें हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के रूप में निम्नलिखित श्रेणियों के मामले देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और कठोर दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है। असंख्य प्रकार के मामले जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।*
>
> *(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।*
>
> *(2) जहाँ प्रथम सूचनादाता रिपोर्ट में आरोप और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, प्राथमिकी के साथ एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, के तहत छोड़कर संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं। संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट का आदेश।*
>
> *(3) जहां एफ़. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य शून्य अपराध का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।*
>
> *(4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश*

के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, प्रदान करता है। पीड़ित पक्ष की शिकायत का प्रभावी निवारण।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है। "

13. विद्वान वकील ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट का उल्लेख किया, जैसा कि **उषा चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य** के मामले में बताया गया है जैसा कि **(2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 90** में बताया गया है, जहाँ उन्होंने पैरा संख्या 10 पर जोर दिया है उक्त रिपोर्ट का 10, जो इस प्रकार हैः-

10. निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कानून के निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित कियाः–

"57. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से, ख्वाजा नजीर अहमद (उपरोक्त) के मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय से, कानून के निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैंः,

i) पुलिस को संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए संहिता के अध्याय XIV में निहित दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है

i)न्यायालय संज्ञेय अपराधों की किसी भी जांच को विफल नहीं करेंगे।

iii) हालांकि, ऐसे मामलों में जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, न्यायालय जांच जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

iv) रद्द करने की शक्ति का प्रयोग 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों' में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। (धारा 482 करोड़ रुपये के तहत रद्द करने के लिए अपने आवेदन में दुर्लभतम मामले मानक हैं। पी. सी. को उस मानदंड के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जो मृत्युदंड के संदर्भ में तैयार किया गया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले समझाया गया है);

v) एक प्राथमिकी/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की जाती है, अदालत प्राथमिकी/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकती है;

vi) आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

vii) किसी शिकायत/एफ. आई. आर. को रद्द करना एक सामान्य नियम की तुलना में एक अपवाद और दुर्लभता होनी चाहिए।

viii) आम तौर पर, अदालतों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग गतिविधियों के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं। हालाँकि, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 द्वारा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या उपरोक्त प्रक्रिया को रोकने के लिए मान्यता दी गई है। पी. सी

ix) न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, परस्पर व्याप्त नहीं हैं।

x) अपवादात्मक मामलों को छोड़कर जहां गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए;

xi) न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी मनमौजी या मनमौजी के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं;

xii) प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विश्वकोश नहीं है जिसे रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए। इसलिए, जब पुलिस द्वारा जाँच जारी है, तो अदालत को एफ़. आई. आर. में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि शिकायत/एफ. आई. आर. जांच के योग्य नहीं है या यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जाँच के दौरान या बाद में, यदि जाँच अधिकारी को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में कोई सार नहीं है, तो जाँच अधिकारी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उचित रिपोर्ट/सारांश दाखिल कर सकता है जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है।

xiii) सी.आर.पी. सी. की धारा 482 करोड़ के तहत शक्ति। बहुत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति के लिए न्यायालय को सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। यह अदालत पर एक कठिन और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है;

xiv) तथापि, उसी समय, न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो रद्द करने के मापदंडों और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से आर. पी. कपूर (ऊपर) और भजन लाल (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों को देखते हुए, प्राथमिकी/शिकायत को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है। और xv) जब कथित अभियुक्त द्वारा एफ़. आई. आर. को रद्द करने की प्रार्थना की जाती है, तो अदालत जब सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करती है तो अदालत को केवल इस बात पर विचार करना है कि क्या एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं और गुण-दोष के आधार पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आरोप

संज्ञेय अपराध हैं या नहीं और अदालत को जांच एजेंसी/पुलिस को एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों की जांच करने की अनुमति देनी होगी।

14. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता का निहितार्थ केवल अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दिखाई देता है, जो स्वयं एस. एल. आई. ई. टी. के उप-निबंधक के रूप में जारी किया गया है, जहां वह सेवा की उपरोक्त अवधि दिनांकित 18.03.2016 वाले पत्र जिसकी संख्या 1155 है और जो एस.एल.आई.ई.टी. द्वारा जारी किया गया है को देखते हुए विवादित प्रतीत नहीं होती है। 30.05.2014 दिनांकित अनुभव प्रमाण पत्र से दी गई कोई भी जानकारी प्रथम दृष्टया गलत या जाली नहीं दिखाई देती है। यह आगे प्रतीत होता है कि अनुभव प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता के पक्ष में कर्नल अरुण कैंथला (अवकाश प्राप्त) के हस्ताक्षर के तहत जहां यह दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता ने 27.02.2014 तक 31.07.2014 (पूर्वाह्न) से काम किया है। एफ. आई. आर. के साथ संलग्न विभिन्न ई-मेलों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और सूचक आधिकारिक विवादों और मतभेदों के कारण शत्रु के रूप में थे, जहां सूचक की एन. यू. के वित्त अधिकारी की सेवा भी 07.11.17 के आदेश संख्या 699 के द्वारा, समाप्त कर दिया गया था। और इस तरह, यह मामला प्रथम दृष्टया जाली दस्तावेज का मामला प्रतीत नहीं होता है, न ही यह प्रतिरूपण का मामला है। यह आरोप प्रथम दृष्टया आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि यह लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन है। यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत मामला बनाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रासंगिक तत्व पुरुष अधिकार, यानी धोखाधड़ी या बेईमान इरादे, जो प्रारंभ से होना चाहिए जैसा कि संगीताबेन **महेंद्रभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य जैसा कि (2012) 7 एस. एस. सी. 621** में बताया गया है।

15. तदनुसार, याचिकाकर्ता के परिपेक्ष में **भजन लाल मामले (उपरोक्त)** का पैरा सं. 7 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अलोक में, संज्ञान का विवादित आदेश दिनांक 31.01.2017, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-IV, बिहार शरीफ, नालंदा के समक्ष लंबित 2016 के राजगीर पी. एस. मामले संख्या 65 में पारित किया सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ रद्द एवं दरकिनार किया जाता है।

16. आवेदन स्वीकृत की जाती है।

17. इस आदेश की एक प्रति तुरंत विद्वत विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायाधीश)

एस. त्रिपाठी -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।